167

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

R 5026-III/16

Rs. 201—

मा. [illegible] द्वारा आज दिनांक 1-8-1-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

1— शैलेन्द्र उम्र 38 वर्ष
2— भरत उम्र 32 वर्ष
3— विवेक उम्र 30 वर्ष
तीनों के पिता प्रहलाद प्रसाद चतुर्वेदी
4— विनय उम्र 30 वर्ष
5— बसंत उम्र 22 वर्ष
दोनों के पिता बुद्धसेन चतुर्वेदी
6— सुरेश उम्र 50 वर्ष
7— निर्मल उम्र 41 वर्ष
8— बालेन्द्र उम्र 44 वर्ष
9— अरूणेन्द्र उम्र 39 वर्ष
चारों के पिता छोटेलाल चतुर्वेदी
निवासी ग्राम खड्डा तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

......................निगरानीकर्तागण

बनाम्

1— लक्ष्मण प्रसाद पिता लोचाई साकेत
2— बुद्धसेन पिता जागेश्वर साकेत
दोनों निवासी खड्डा तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

..................गैरनिगरानीकर्तागण

यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा जिला रीवा म.प्र. के प्र.क. 171/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5026/II/16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.16	(पैरा-1) मैंने आवेदक-अधिवक्ता के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया। इसके आधार पर मैं प्रकरण मे निम्न बिन्दु दीप एवं विचार योग्य पाता हूँ:- (क) ना.तह., सिरमौर द्वारा प्र.क. 3अ13/95-96 में आदेश दि. 31-12-96 में यह पाया गया है कि विषयांकित भूमियों की मेढ़ पर से रास्ता है, तथा उन्होंने इन मेढ़ों के कलेवर चिन्ह आदि बिगाड़े जाने के प्रयास नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। (ख) ना. तह. के प्र.क. 6/अ13/13-14 में पारित आदेश दि. 13-8-14 से, अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण, CC रोड हेतु 10 फीट रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के विरुद्ध की अपीलों को अनु.अधि. एवं अपर आयुक्त ने स्वीकार नहीं किया है, जिसके विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी हुई है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(पेज-2) प्रकरण मे विचारोपरान्त मै यह पाता हूँ कि ना.तह. के 13-8-14 के आदेश, तथा SDO और अपर आयुक्त के अपीलीय आदेशों में (एक) यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि निगराकारगण की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियों के अंश, CC सड़क की 10 फीट की चौड़ाई में बनाने की प्रक्रिया मे जाने वाले हैं जबकि पूर्व में केवल मेढ़ पर रूढ़िगत रास्ता रहा है, तो किस-2 सर्वे नं. का कितना-2 रकबा जो नक्शे पर किस-2 जगह पर दिखाई देता है, इसमे जाने वाला है, और यदि ऐसा कोई अंश नहीं भी जाने वाले तो इस संबंध में स्पष्टता और पारदर्शिता का इन सभी आदेशों में अभाव है, और (दो) यदि कुछ इस प्रकार के निगराकारगण की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियों के अंश, 10 फीट के CC road में जाने वाले हैं, तो इन्हें किस-2 विधिक प्रावधान का किस-2	

3

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5026/II/16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकार से पालन करके 10 फीट के CC road में, पूर्व की मेढ़ पर से गुजरने वाले रास्ते का क्षेत्रफल बढ़ाते हुए, लिए जाने का आदेश पारित किया गया है, इस संबंध में संबंधित विधिक प्रावधानों का स्पष्टतापूर्वक और खुलासे से उद्धरण करते हुए, उनके वाद-विषय में लागू होने और पालित/अनुसरित हुए होने के संबंध में समाधानकारक व्याख्या एवं औचित्य का इन सभी आदेशों में अभाव है।	
(पैरा-3)	उपरोक्त के प्रकाश में इन तीनों ही आदेशों को समुचित तौर पर समाधानकारक और पारदर्शी नहीं पाता हूँ। अतः, इन तीनों ही आदेशों को निरस्त करता हूँ और संबंधित तहसीलदार,	

R.5026/11/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	शैलेन्द्र सशाकप सिरमौर / सेमरिया को यह निर्देश देता हूँ कि वे उनके न्यायालय का प्र.क्र. 6/अ 13/13-14 पुनः खोलें, और उसमें इस आदेश के पूर्ववर्ती भाग में लिखे जा चुके बिन्दुओं [पैरा-2 के बिन्दु (एक) एवं (दो) देखें] पर पूरी स्पष्टता और पारदर्शिता लाते हुए, तथा विधिक सावधानी के अनुसार और उनका पालन कर इस सबका लेख करते हुए, नए सिरे से स्व-स्पष्ट (self-contained) एवं बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। यह निगरानी इन निर्देशों के साथ निराकृत की जाती है। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार सिरमौर/सेमरिया, जिला रीवा सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। 4.3.16 (सदस्य)	